Speed Post

सं./No. 11/7/2008 - VS –CRS

भारत सरकार/

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय/

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली - 110066

V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066, Tele-fax: 26104012

E-mail – drg-crs.rgi@censusindia.gov.in Dated 25-03-2013

To,

All Chief Registrar of births and Deaths

IndiaCode

Subject: Linking of Birth and Death Certificates with other services.

Sir,

You are aware that registration of births and deaths is mandatory under the provisions of Registration of Births and Deaths (RBD) Act, 1969, despite mandatory registration for the last four decades, the level of registration of births and deaths at national level is only 81 % and 67% respectively. In the light of the target of National Population Commission to achieve 100% registration of births and deaths, it is desired to improve the registration system and increase the level of registration of birth and death by linking submission of birth and death certificate for availing the benefits under various schemes.

2. You may be aware that during 2009 National Conference, detailed discussion was held on linking of Birth and Death Certificates with other services wherein it was decided to enlist those services, where proof of age and proof of identity could primarily be required through birth and death certificates. The possible services for linkage of birth and death certificates was also chalked out, accordingly the following main services are emerged for birth and death registration:

(i) **Birth Registration** : Entry of new born baby in ration card; immunization,; issue of passport; maternity benefits scheme; entry into school; caste/domicile certificate; insurance policy; declaration as major for any legal purposes; enrolment in Electoral Rolls; driving licence; enrolment in employment exchange; appointment in Government, public health services and health insurance scheme sector and private sector; marriage registration etc.

(ii) **Death Registration:** legal heir ship for transfer of property to legal heirs; claims in respect of insurance, bank and other deposits, family pension; transfer of gas connection, telephone connection, electricity/water meters; removal of name of deceased from the Electoral Rolls, old age pension beneficiaries' etc.

3. In this connection, it is also to inform you that recently a committee setup on strengthening the civil registration system comprising the members from NRHM, Ministry of Health & Family Welfare and ORGI also recommended for linking of birth and death certificates for availing the benefits under various schemes. One such move recommended by the Committee could be production of birth certificates at the time of admission in the school. However, this should be done with adequate safety mechanism such as three months' time for furnishing of birth certificate in order to avoid clashes between the interests of different schemes of various departments. Similar provisions can also be made in respect of other schemes, particularly those relating to reproductive women and children.

4. In view of the above, you are requested to coordinate with the concerned departments and make efforts to link various services with registration and production of birth and death certificates. This office may also be appraised about the action taken in this regard.

Yours faithfully

(P.A. Mini)
Dy. Registrar General (CRS)

हिन्दी रूपान्तर

सं.11/7/2008-वीएस-सीआरएस

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

V.S. Division, West Block-1, R.K.Puram, New Delhi-110066

दूरभाष-26104012, ई-मेल-drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक: 25.03.2013

सेवा में,

सभी मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु

IndiaCode

विषय: जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों को अन्य सेवाओं से जोड़ना ।

महोदय,

आप जानते ही हैं कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के तहत जन्म और मृत्यु के मामलों का पंजीकरण अनिवार्य है, पिछले चार दशकों से पंजीकरण के अनिवार्य होने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का स्तर क्रमश: केवल 81%और 67% ही है । जन्म और मृत्यु के संबंध में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के 100% पंजीकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण प्रणाली में सुधार करना और विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने को जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जमा करने से जोड़कर जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के स्तर को बढ़ाना अपेक्षित है ।

2. आप जानते ही होंगे कि राष्ट्रीय सम्मेलन 2009 में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों को अन्य सेवाओं के साथ जोड़ने पर विचार-विमर्श हुआ था जिनमें ऐसी सेवाओं को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया था जहां आयु के प्रमाण और पहचान के प्रमाण मुख्य रूप से जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों के माध्यम से अपेक्षित हों । जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों से जोड़ी जाने वाली संभावित सेवाओं का भी पता लगाया गया था और तदनुसार जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के संबध में निम्नलिखित मुख्य सेवाएं सामने आईं :

(i) **जन्म का पंजीकरण:** राशन कार्ड में नवजात शिशु के विवरण की प्रविष्टि; टीकाकरण; पासपोर्ट जारी करना; मातृत्व लाभ स्कीम; विद्यालय में प्रवेश; जाति/अधिवास प्रमाणपत्र; बीमा पॉलिसी; किन्हीं विधिक प्रयोजनों के लिए व्यस्क के रूप में घोषणा; मतदाता सूचियों में नामांकन; ड्राइविंग लाइसेंस; रोजगार कार्यालय में नामांकन; सरकार में नियुक्ति; लोक स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य बीमा स्कीम क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र; विवाह का पंजीकरण इत्यादि ।

(ii) **मृत्यु का पंजीकरण:** विधिक उत्तराधिकारियों को संपत्ति के हस्तांतरण संबंधी विधिक उत्तराधिकार; बीमा, बैंक तथा अन्य जमा, परिवारिक पेंशन के मामले में दावे; गैस कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन, बिजली/पानी के मीटर का स्थानांतरण; मतदाता सूची, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों इत्यादि से मृतक का नाम हटाना ।

3. इस संबंध में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए हाल ही में गठित एक समिति जिसमें एनएचआरएम, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय से सदस्य शामिल हैं, ने भी विभिन्न स्कीमों के तहत लाभ प्राप्त करने को जन्म और मृत्यु के प्रमाणपत्रों से जोड़ने की सिफारिश की है । स्कूल में प्रवेश के समय जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना समिति द्वारा सिफारिश किया गया एक ऐसा ही उपाय हो सकता है । तथापि, यह कार्य पर्याप्त सुरक्षा प्रणाली के साथ किया जाना चाहिए जैसे कि विभिन्न विभागों की भिन्न-भिन्न स्कीमों से प्राप्त होने वाले लाभों के परस्पर टकराव से बचने के लिए जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने का समय देना । विशेषरूप से प्रजननक्षम महिलाओं और बच्चों से संबंधित अन्य स्कीमों के संबंध में भी इसी प्रकार के प्रावधान किए जा सकते हैं ।

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आपसे संबंधित विभागों के साथ समन्वय करने और विभिन्न सेवाओं को पंजीकरण और उन्हें जन्म और मृत्यु के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से जोड़ने के प्रयास करने का अनुरोध किया जाता है । इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत करवाया जाए ।

भवदीया,

पी. ए. मिनी

(पी.ए.मिनी)
उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)